न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अ

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9/3/18 कुलवन्त सिंह गुरमीत सिंह	पत्रावली लोक अदालत केन्द्र शेताखुर्द में पेश हुई। उभय पक्षकारान के मध्य बाद समझाइश राजीनामा कराया गया। राजीनामा पर हस्ताक्षर कराये गये जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय पृथक से शामिल हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास लोक अदालत ग्राम पं. मु. रातार्इ
==

अध्यासित द्वारा :- श्री सुभाष यादव आर. ए. एस.
श्री कमलेश कुमार शर्मा
से. नि. तहसीलदार बैंच सदस्य

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
122	13-11-17	9-5-18

उनवान

1- कुलवन्तसिंह पुत्र नादरसिंह कोम रायसिख निवासी ग्राम रातार्इ तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:- वादी

बनाम

1- गुरमीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह

2- सुरजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह

3- सुखविन्दरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी रातार्इ

4- शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक बैरावास

5- राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली लोक अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित आये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है वादी ने वाद पेश किया कि हाल ख. नं. 895/0.5800 वाके रातार्इ का खातेदार चाकरसिंह पुत्र मिलापासिंह था। चाकरसिंह ने अपनी आराजी ख. नं. 895/2-06 में से 1/2 भाग अर्थात 1बीघा 3 बिस्वा का तबादला मिन वादी के साथ वादी की आ. ख. नं. 978, 582, 579 रकबा 1बीघा 05बिस्वा से कर लिया व श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार विनिमय विलेख तहरीर कराकर उप पंजीयक किशनगढ़- बास से कर लिया व श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश अनुसार विनियमय विलेख तहरीर कराकर उप पंजीयक किशनगढ़-बास से पंजीबद्ध करा दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 532 मिन वादी के हक में दर्ज वो स्वीकार होकर जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया।

मिन वादी आराजी ख. नं. 895में 1/2 भाग का खातेदार हो गया व व जमाबन्दीखाता में अंकन हो गया। तत्पश्चात् चाकरसिंह ने अपने बचे हुये 1/2 भाग की वसीयत सन्तोषबार्इ पत्नी महेन्द्रसिंह(माता प्रतिवादीगण 1, 2, 3(के हकमें करदी और 1/2 भाग का इन्तकाल सं. 633 सन्तोषबार्इ के हकमें दर्ज वो स्वीकार होकर जमाबन्दी में अमल हो गया। इस प्रकार 1/2 भाग वादी व 1/2 भाग सन्तोषबार्इ का रकबा व इसी कदर काबिज रहे।

--2--

यह है कि जमाबन्दी सं. 2065 के बाद जो जमाबन्दी बनाई गई उसमें राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा कुल आराजी का अंकन सन्तोषबाई के नाम कर दिया जबकि सन्तोषबाई का 1/2 भाग व वादी का 1/2 भाग था। पटवारी हल्का ने बिना किसी अधिकार व बिना किसी आधार के विधि विरुद्ध वादी का नाम विलुप्त कर अकेली सन्तोषबाई के नाम गलतरूप से अमल करदिया। सन्तोषबाई की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण के हक में भी गलत रूप से इन्द्राज हो गया। जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

{अ} डिक्री इजराय पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी हाल ख. नं. 895/0.5800 का 1/2 भाग वाके ग्राम रातासुर्द तहसील किशनगढ़-बास का खातेदार है व इसी कदर हाल जमाबन्दी में वादी को 1/2 भाग व प्रतिवादीगण 1, 2, 3 को 1/2 भाग खातेदारी का अमल किया जावे।

{ब} डिक्री इजराय हुक्मइम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

{स} हरजा खर्चा मुकदमा का प्रति. से दिलाया जावे।

{द} अन्य सहायता जो नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 2, 3 ने इकबाल जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया।

आज पत्रावली लोकअदालत में पेश होने पर पक्षकारान उपस्थित हुये जिन्होने लिखित में राजीनामा पेश किया राजीनामा में स्वीकार किया कि आराजी विवादित का 1/2 भाग वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादीगण ने जो ऋण पूर्ण हिस्से पर लेरखा है उस ऋण राशि को प्रतिवादीगण ही अदा करेंगे मुताबिक राजीनामा वाद का निर्णय फरमाया जावे।

हमने पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से वादी के वाद की ताईद होती है एवं प्रतिवादी ने भी वाद को स्वीकार किया है। अतः लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बरूपे राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को आ. ख नं. 895/0.58 वाके ग्राम रातासुर्द के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के 1/2 भाग की जद तक जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा ऋण राशि का भार प्रतिवादीगण पर ही रहेगा। इस हेतु बैंक शाखा को पृथक से सूचना दी

-3-

Scanned by CamScanner

जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय राताखुर्द में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास [अलवर]

Scanned by CamScanner